सत्यमेव जयते

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार
(विधान मंडल सहित)

बजट का सार

2024-2025

फरवरी, 2024

वित्त विभाग
बजट प्रभाग

बजट: 2024-25

तालिका 1: बजट एक नज़र में

(करोड़ रुपये में)

	मदें	2022-23 (पूर्व-वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
क	राजस्व प्राप्तियाँ	68976	106061	84603	97861
ख	राजस्व व्यय	62999	77009	76155	80162
	राजस्व अधिशेष (क-ख)	**5977**	**29052**	**8448**	**17699**
ग	पूंजीगत प्राप्तियाँ	8689	12439	23594	20867
घ	पूंजीगत व्यय	14666	41491	32042	38566
	पूंजीगत खाता घाटा (ग-घ)	**-5977**	**-29052**	**-8448**	**-17699**
ड .	कुल व्यय	77665	118500	108197	118728
च	कुल प्राप्तियाँ	77665	118500	108197	118728
छ	**राजकोषीय घाटा**	**10007**	**12012**	**23542**	**20760**
ज.	**गैर-वित्तोषित /अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन**	**0**	**0**	**0**	**0**

'-' चिन्ह घाटे को दर्शाता है

रुपया: आय
(2024-25)

ग्राफ : 1

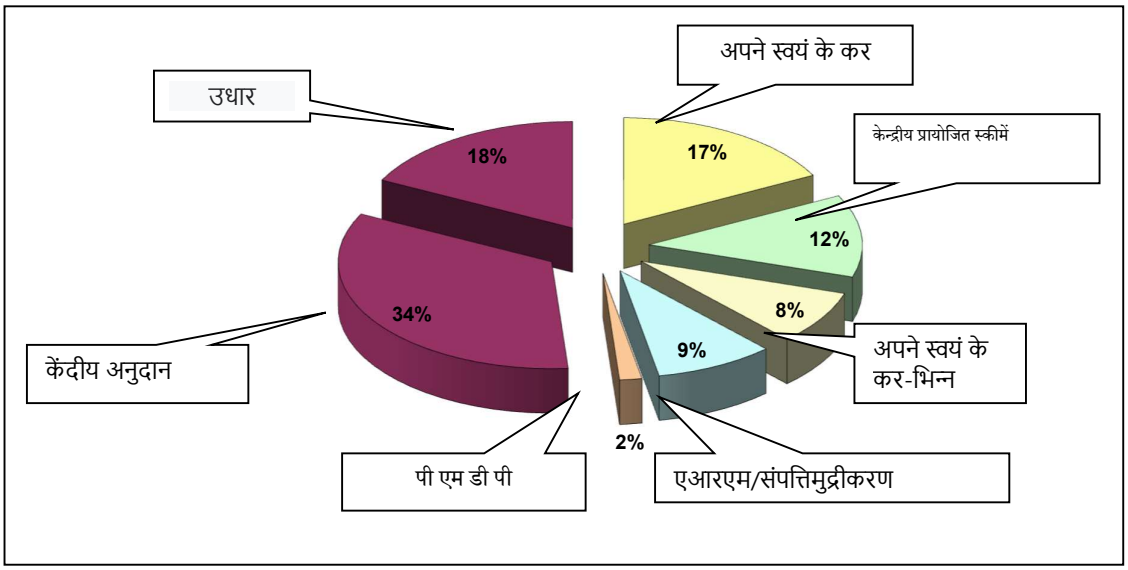

रुपया: व्यय
(2024-25)

ग्राफ: 2

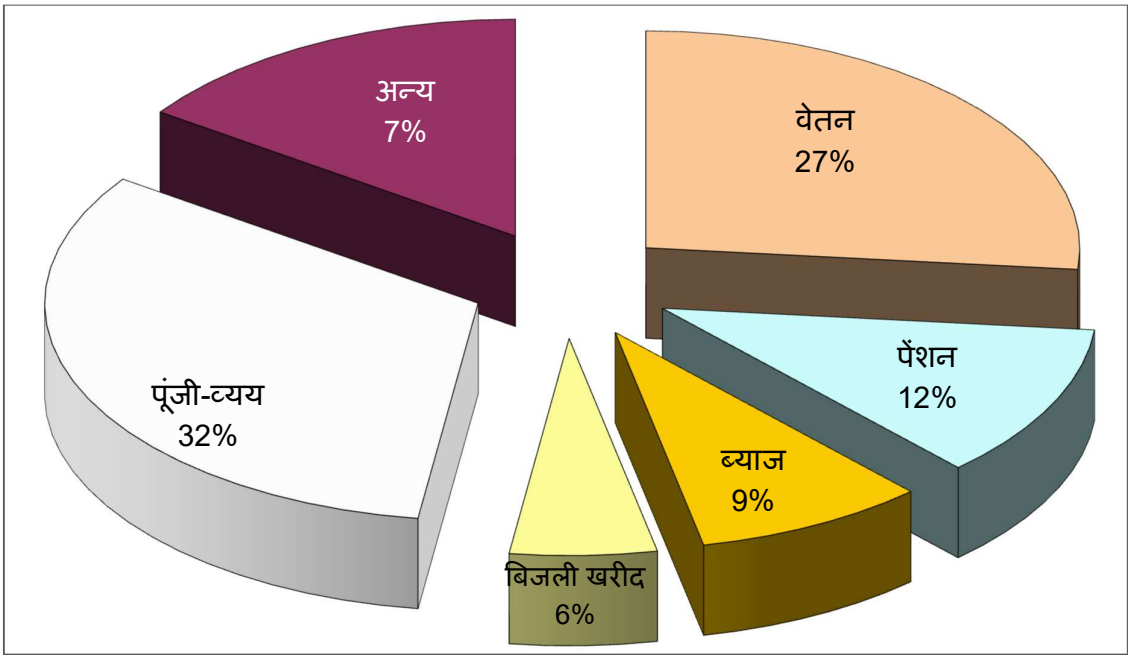

आर्थिक विकास
मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद

ग्राफ : 3 (करोड़ रुपये में)

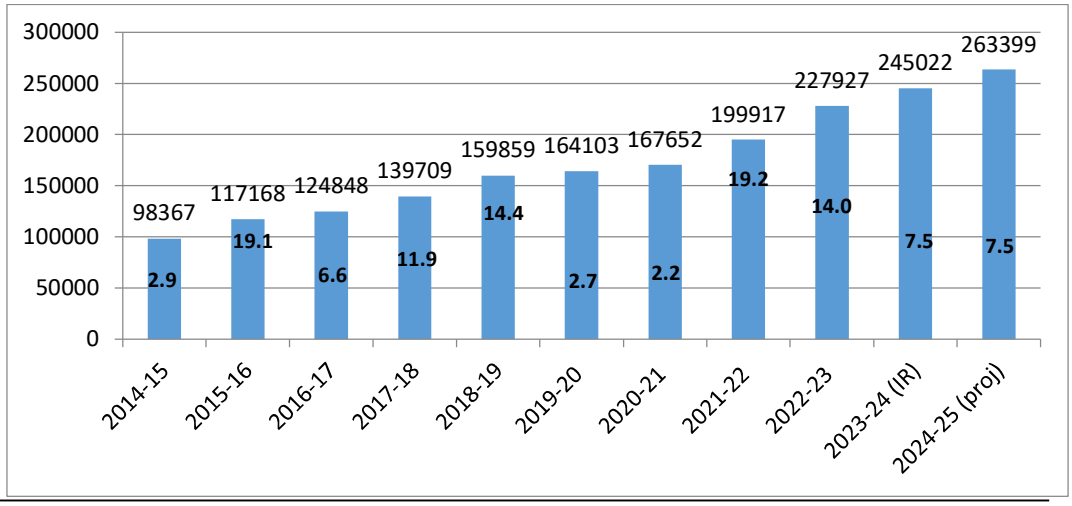

(आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर कोष्ठक में वृद्धि % की गणना), आईआर=प्रथ परि=अनुमानित

कर और राजस्व –व्यापकता और दक्षता

ग्राफ: 4 **स्वयं के राजस्व % जीडीपी**

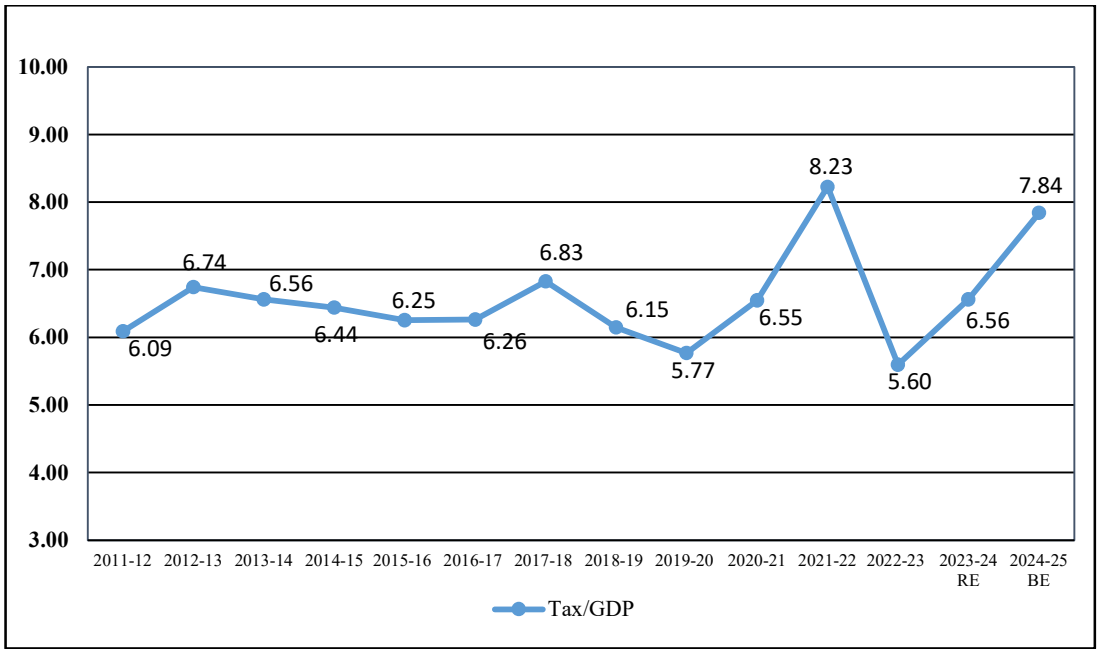

तालिका-2 बजट : आधारभूत विवरण

(करोड़ रुपए में)

मदें	2022-23 (पूर्व-वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियाँ (i+ii+iii+iv)	**68976**	**106061**	**84603**	**97861**
i. स्वयं का कर राजस्व	12753	20349	16073	20654
ii. गैर-कर राजस्व	5148	13593	7864	9661
iii. केंद्र से प्राप्त संसाधन	51075	64319	59666	56814
iv.अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम)/संसाधनों को सिस्टम पूल में चैनलाइज़ करना (सीआरआईएसपी)/आस्ति मुद्रीकरण	-	7800	1000	10732
कुल राजस्व व्यय जिसमें से	**62999**	**77009**	**76155**	**80162**
ब्याज भुगतान	*8553*	*9635*	*9435*	*10272*
सीएसएस	2003	3654	2816	4435
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**8689**	**12439**	**23594**	**20867**
i उधारियाँ	9154	11633	23542	20760
ii भविष्य निधि की अन्य देनदारियां (शुद्ध)	853	379	0	0
iii. विविध. गैर ऋण सृजन	-1319	422	46	101
iv. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1	5	6	6
कुल पूंजीगत व्यय	**14666**	**41491**	**32042**	**38566**
i पीएमडीपी सहित पूंजीगत व्यय	11513	26259	23966	28154
जिनमें से: पुनर्भुगतान	*4032*	*8099*	*10420*	*11710*
ii सीएसएस	3404	15232	8076	10412
कुल व्यय	**77665**	**118500**	**108197**	**118728**
i राजस्व व्यय	62999	77009	76155	80162
ii पूंजीगत व्यय	11513	26259	23966	28154
iii सीएसएस कैपेक्स	3153	15232	8076	10412
कुल प्राप्तियाँ	**77665**	**118500**	**108197**	**118728**
i राजस्व प्राप्तियाँ	68976	106061	84603	97861
ii पूंजीगत प्राप्तियां*	8689	12439	23594	20867
राजस्व अधिशेष	**5977**	**29052**	**8448**	**17699**
अपेक्षित अनिधिकृत/ अतिरिक्त संसाधन	**0**	**0**	**0**	**0**
राजकोषीय घाटा	**10007**	**12012**	**23542**	**20760**

***** पूंजीगत प्राप्ति और व्यय में आरई **2023-24** और बीई **2024-25** में क्रमशः **19423** करोड़ रुपये का अग्रिम और **13713** करोड़ रुपये का ओडी शामिल नहीं **है।**

तालिका 3: राजस्व प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

मदें	2022-23 (पूर्व-वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियाँ (I+II)	**68976**	**106061**	**84603**	**97861**
I. केंद्र से कुल अनुदान	**51075**	**64319**	**59666**	**56814**
i. केंद्र से संसाधन	51075	64319	59666	56814
II स्वयं का राजस्व (1+2+3)	**17901**	**41742**	**24937**	**41047**
1. स्वयं का कर राजस्व	**12753**	**20349**	**16073**	**20654**
क) एसजीएसटी+आईजीएसटी	7630	13174	9700	14000
ख) उत्पादशुल्क	1794	2400	2400	2600
ग) बिक्री, व्यापारआदिपरकर	1554	1800	1800	1900
घ) स्टाम्पएवंपंजीकरण	557	650	650	800
ड) अन्य	1218	2325	1523	1354
2. गैर-कर राजस्व, जिनमें से	**5148**	**13593**	**7864**	**9661**
विद्युत प्राप्तियाँ	*3308*	*6000*	*4654*	*6000*
अन्य	*1840*	*7593*	*3210*	*3661*
3. अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम)/संसाधनों को सिस्टम पूल में चैनलाइज़ करना (सीआरआईएसपी)/आस्ति मुद्रीकरण	**-**	**7800**	**1000**	**10732**

तालिका 4: राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए में)

	मदें	2022-23 (पूर्व-वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
क	**राजस्व व्यय, जिनमें से :**	**62999**	**77009**	**76155**	**80162**
	i. ब्याज	8553	9635	9435	10272
	ii . विद्युत खरीद*	1489	3040	6500	6500
	iii. रखरखाव/मरम्मत/सामग्री एवं आपूर्ति	847	1112	923	866
	iv. अनुदानसहायता	6285	4872	4619	4855
	v. सीएसएस	2003	3654	2816	4435
ख	**प्राथमिक राजस्व व्यय, जिनमें से:**	**54446**	**67374**	**66720**	**69890**
	i वेतन	27838	33530	30575	31566
	ii पेंशन	11142	12525	13646	13651
	iii. अन्य	4842	8641	7641	8017

*** जनरेशन कंपनियों की देनदारियों की भरपाई के लिए डिस्कॉम के लिए ऋण योजना के माध्यम से बिजली खरीद के कारण 11292 करोड़ रुपये की पिछली देनदारी की अदायगी के कारण 2022-23 में बिजली खरीद लागत कम दिखाई गई है।**

तालिका 5: पूंजीगत प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपये में))

मदें	2022-23 (पूर्व-वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
पूंजीगत प्राप्तियाँ	**8689**	**12439**	**23594**	**20867**
1. वार्तातय ऋण	681	1505	901	1700
2. बाज़ार की उधारियाँ	8473	10128	22641	19060
3. विविध. गैर ऋण सृजन	-1319	422	46	101
4. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1	5	6	6
5. भविष्य निधि (निवल)	853	379	0	0

तालिका 6: पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपये में)

मदें	2022-23 (पूर्व-वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
पूंजीगत व्यय जिनमें से	**14666**	**41491**	**32042**	**38566**
i यूटी/जिला/पीएमडीपी (तमीर) कैपेक्स	7421	17961	13424	15919
ii ऋण एवं अग्रिम	60	99	22	25
iii. ऋण का पुनर्भुगतान	4032	8099	10420	11710
iv. इक्विटी और निवेश	-	100	100	500
v. सीएसएस	3153	15232	8076	10412
पूंजी खाते पर घाटा/अधिशेष	**-5977**	**-29052**	**-8448**	**-17699**

पूंजीगत प्राप्तियां बनाम पूंजीगत व्यय

ग्राफ़: 5 (करोड़ रुपये में)

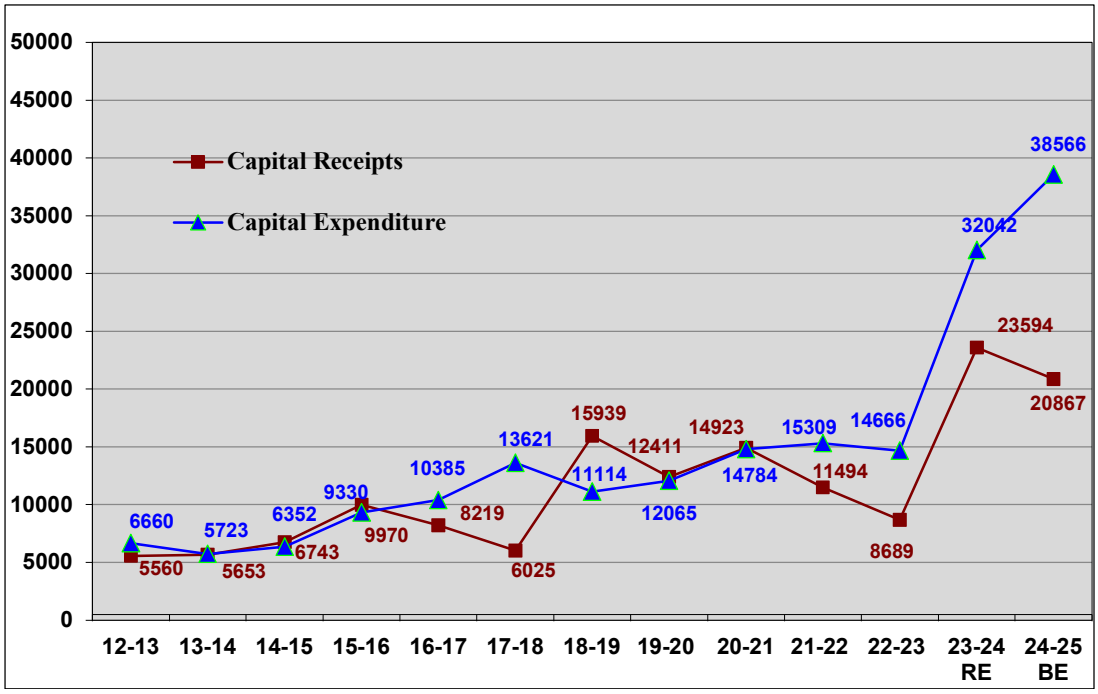

केपेक्स की प्रति इकाई राजस्व व्यय

ग्राफ: 6

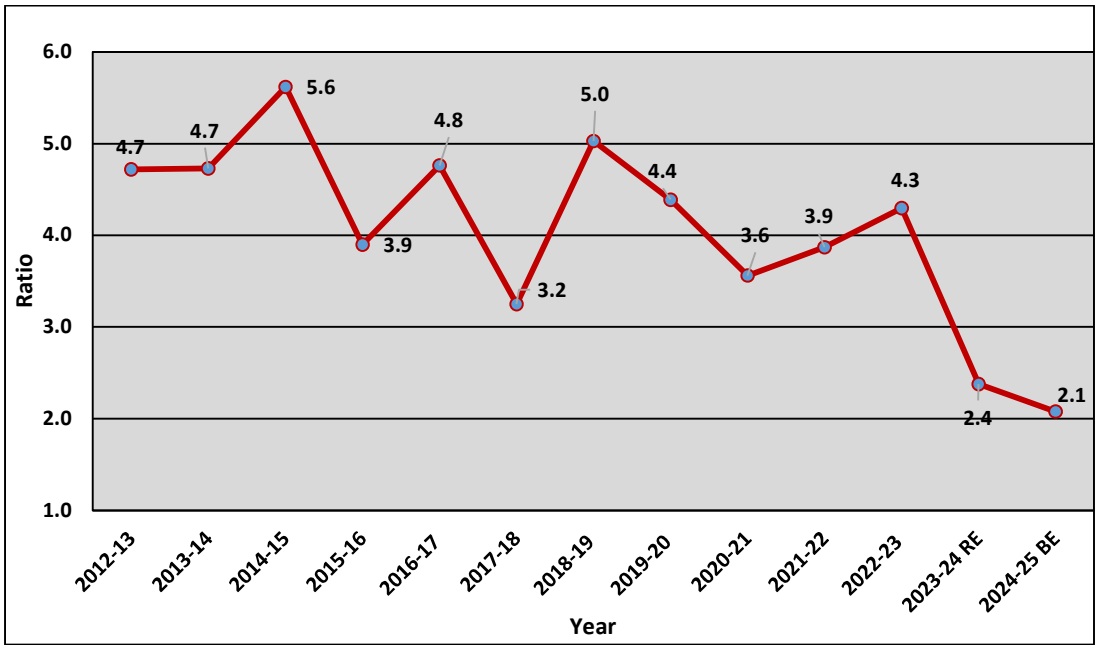

पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्धराजस्व अधिशेष

ग्राफ़: 7 **(करोड़ रुपये में)**

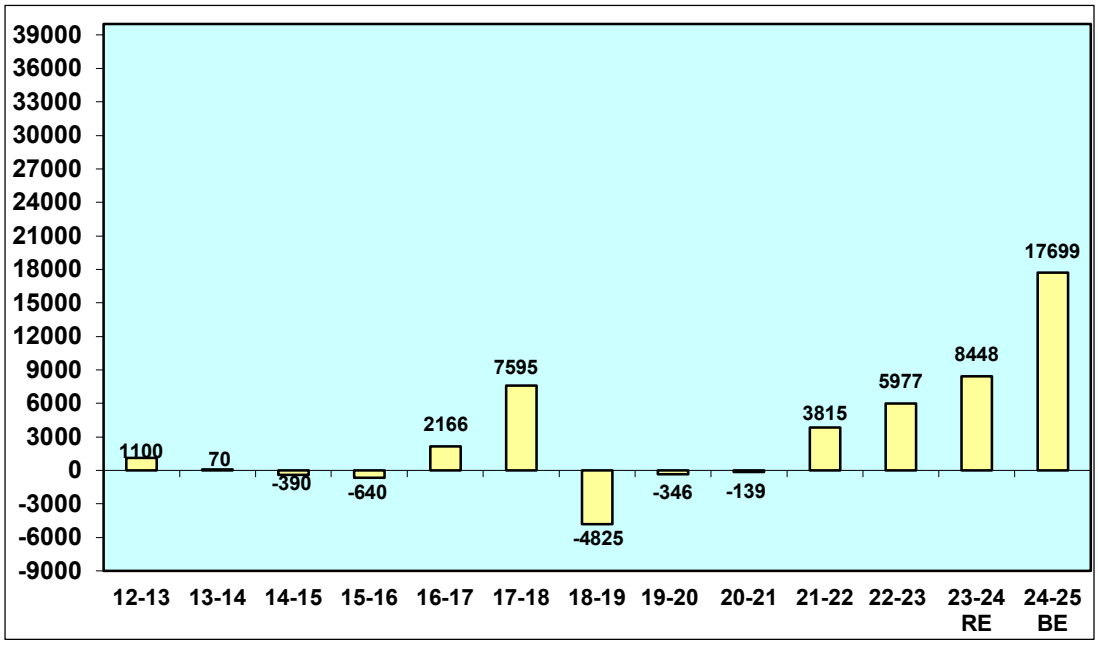

अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि

(कर+कर-भिन्न)

ग्राफ़: 8 **(करोड़ रुपये में)**

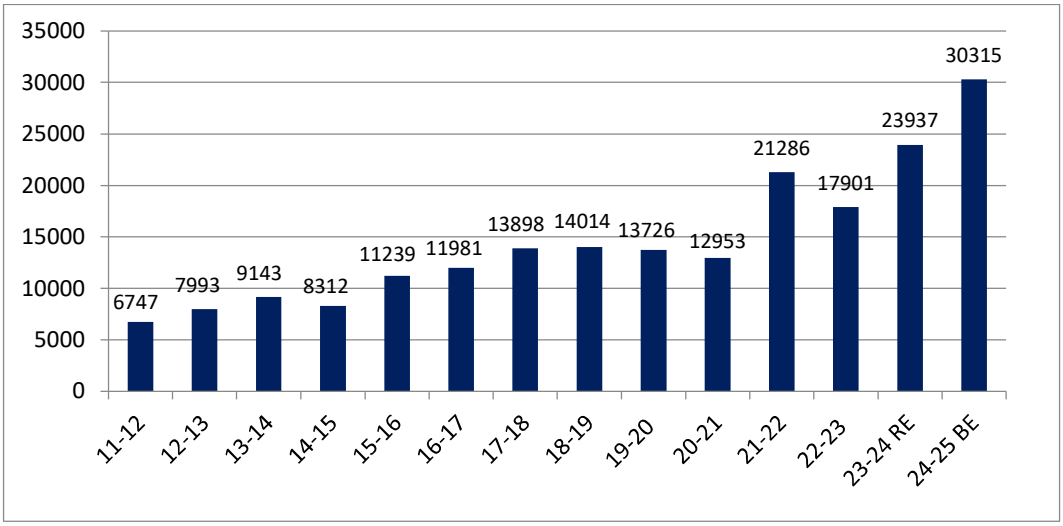

तालिका 7: केंद्र से प्राप्ति

(करोड़ रुपये में)

		2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (बजट अनुमान)
(क)	**स्वत्वाधिकारी अनुदान**	**37533**	**43969**	**39967**
	i. राजस्व घाटा अनुदान (एमएचए मांग के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता का हस्तांतरण)	35302	41472	36999
	ii. एसडीआरएफ	279	279	279
	iii. एसआरई	1700	2180	2493
	iv. अन्य केंद्रीय योजनाएँ	252	38	196
(ख)	**अन्य अनुदान**	**26786**	**15697**	**16847**
	i प्रधान मंत्री विकास कार्यक्रम (टी ए एम ई आई आर)	7900	4805	2000
	ii सीएसएस	18886	10892	14847
	कुल (क +ख)	**64319**	**59666**	**56814**

निवेश की दर

ग्राफ़: 9 **% जीडीपी के रूप में कैपेक्स**

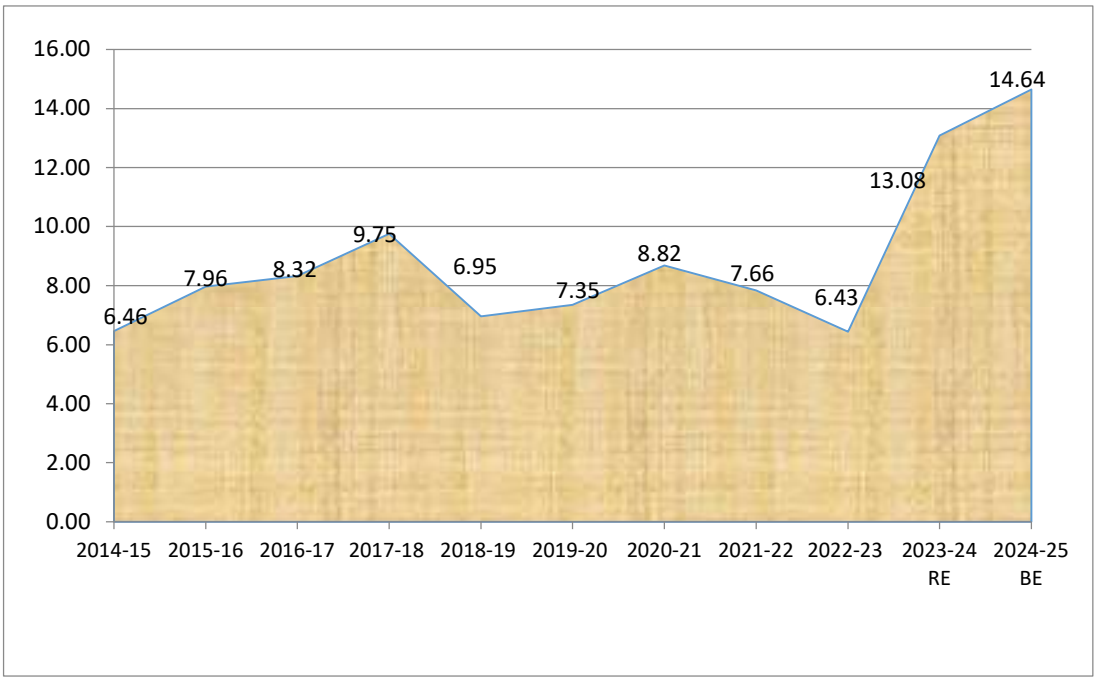

राजकोषीय घाटे का उपयोग

ग्राफ़: 10 **राजकोषीय घाटे के % के रूप मेंकैपेक्स**

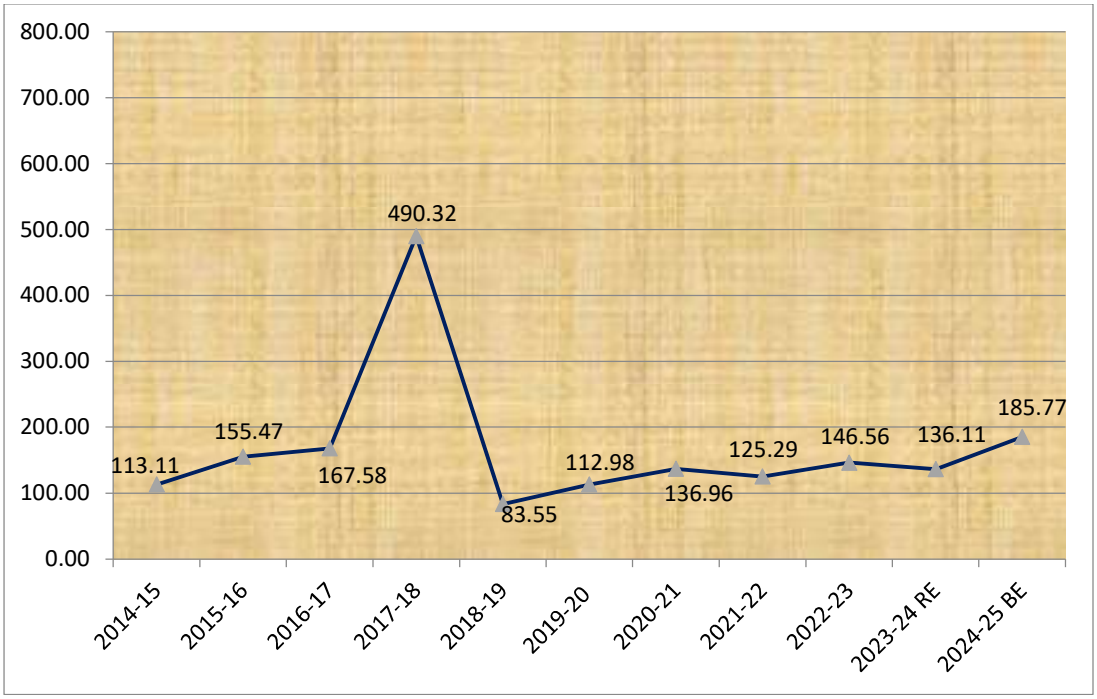

व्यय प्रवृत्ति

ग्राफ: 11 **(करोड़ रुपये में)**

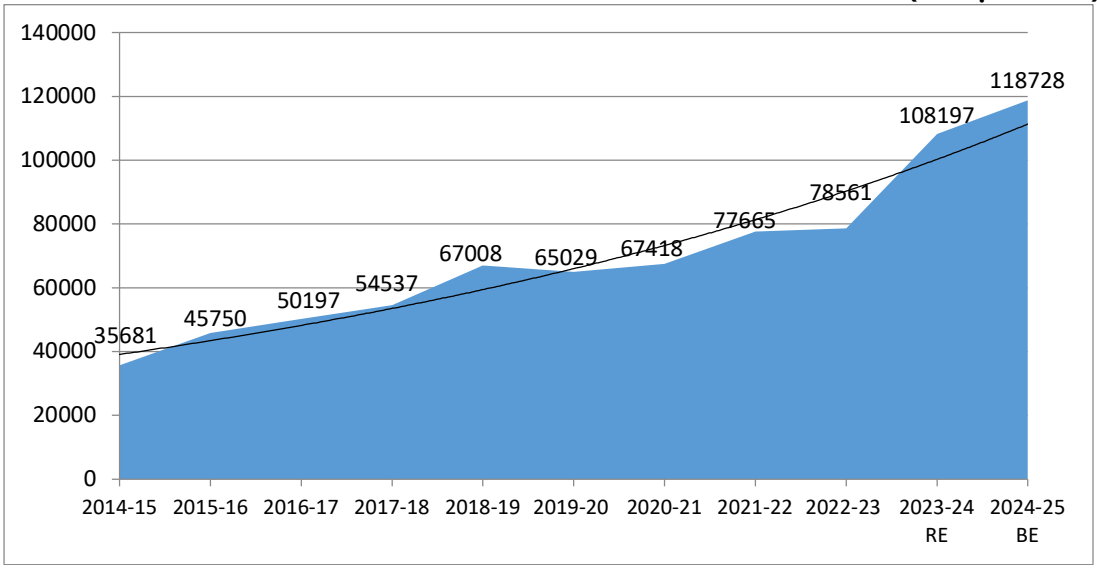

कर राजस्व: प्रवृतियां

ग्राफ : 12 **(करोड़ रुपये में)**

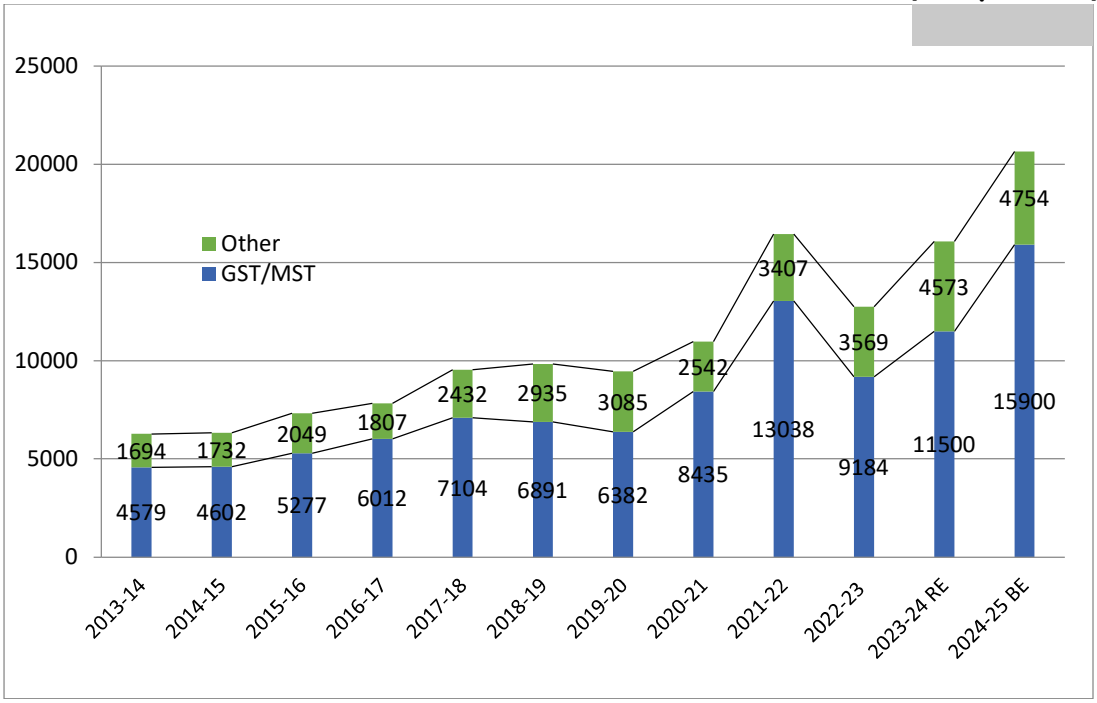

पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण

ग्राफ: 13 **(करोड़ रुपये में)**

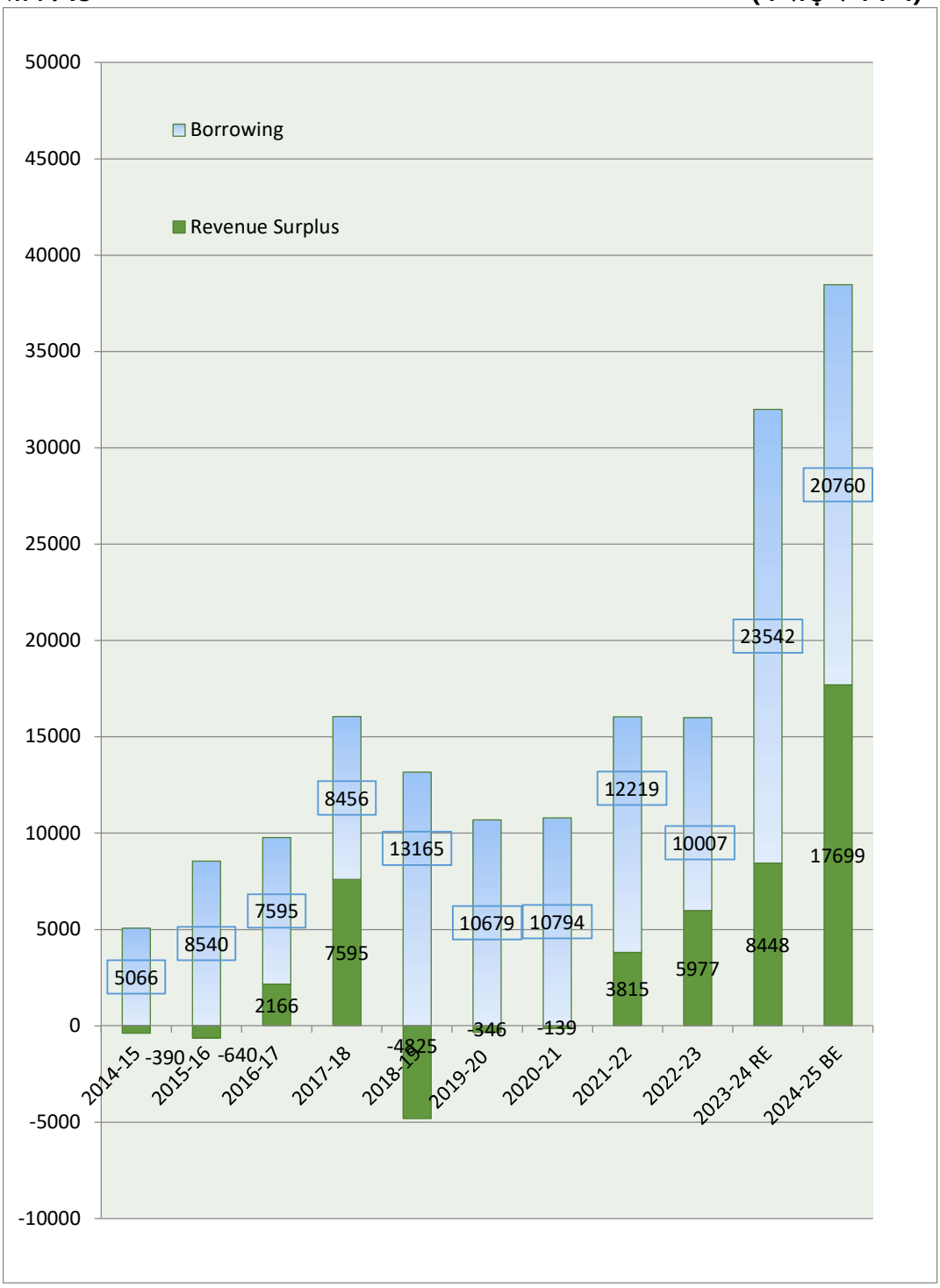

तालिका 8: क्षेत्रवार राजस्व व्यय

(करोड़ रुपये में)

मांग सं.	विभाग	बजट अनुमान (2023-24)	संशोधित अनुमान (2023-24)	बजट अनुमान (2024-25)	% बढ़ोतरी (2023-24) RE से(2024-25) BE तक
01	**प्रशासनिक सेक्टर**				
01	सामान्य प्रशासन	560.86	503.44	520.97	3.48
02	गृह	10314.22	8847.44	9055.12	2.35
04	सूचना	122.05	108.31	121.06	11.77
09	संसदीय कार्य	59.59	30.13	31.14	3.35
10	विधि	932.58	745.18	962.84	29.21
14	राजस्व	830.54	732.39	719.28	-1.79
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	239.37	197.14	180.39	-8.50
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	1009.82	967.77	989.56	2.25
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	**14069.03**	**12131.80**	**12580.36**	**3.70**
02	**सामाजिक सेक्टर**				
07	शिक्षा	12000.18	11017.56	12323.02	11.85
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	236.21	218.01	234.52	7.57
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	6264.75	6060.82	6339.97	4.61
18	सामाजिक कल्याण	3538.72	2841.20	3244.07	14.18
25	लेखन सामग्री एवं प्रिंटिंग/ श्रम एवं रोजगार	111.13	84.96	89.49	5.33
27	उच्चतर शिक्षा	1540.68	1488.90	1566.42	5.21
30	जनजातीय कार्य	121.91	77.70	107.89	38.85
31	संस्कृति	97.38	77.12	67.16	-12.91
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	669.48	595.06	627.10	5.38
	कुल सामाजिक सेक्टर	**24580.44**	**22461.33**	**24599.64**	**9.52**
03	**अवसंरचना सेक्टर**				
06	विद्युत विकास	4388.24	7805.98	7818.67	0.16
16	लोकनिर्माण कार्य	1327.60	1222.25	1188.85	-2.73
19	आवास एवं शहरी विकास	1297.51	1215.13	1216.19	0.09
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	717.58	637.82	647.45	1.51
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1838.12	1744.07	1791.35	2.71
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.02	12.60	12.84	1.90
	कुल अवसंरचना सेक्टर	**9582.07**	**12637.85**	**12675.35**	**0.30**
04	**आर्थिक सेक्टर**				
05	खनन	78.35	63.65	80.16	25.94
11	उद्योग एवं वाणिज्य	347.44	263.34	345.18	31.08
12	कृषि उत्पादन	1308.00	1231.01	1263.46	2.64
13	पशु/भेड़पालन	669.08	617.77	646.34	4.62
20	पर्यटन	215.00	194.07	207.21	6.77
21	वन	1568.52	1333.95	1356.53	1.69

26	मत्स्य पालन	111.57	108.62	137.12	26.24
28	ग्रामीण विकास	748.34	660.63	890.22	34.75
29	परिवहन	107.39	89.42	90.57	1.29
32	बागवानी	161.52	157.34	217.96	38.53
36	सहकारिता	71.20	80.25	71.56	-10.83
	कुल आर्थिक सेक्टर	**5386.41**	**4800.05**	**5306.31**	**10.55**
05	**वित्तीय सेक्टर**				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	134.80	119.31	120.54	1.03
08	वित्त	23256.01	24004.40	24879.92	3.65
	कुल वित्तीय सेक्टर	**23390.81**	**24123.71**	**25000.46**	**3.63**
	कुल मिलाकर	**77008.76**	**76154.74**	**80162.12**	**5.26**

'-' चिह्न कमी को दर्शाता है।

सेक्टर-वार राजस्व व्यय

ग्राफ: 14

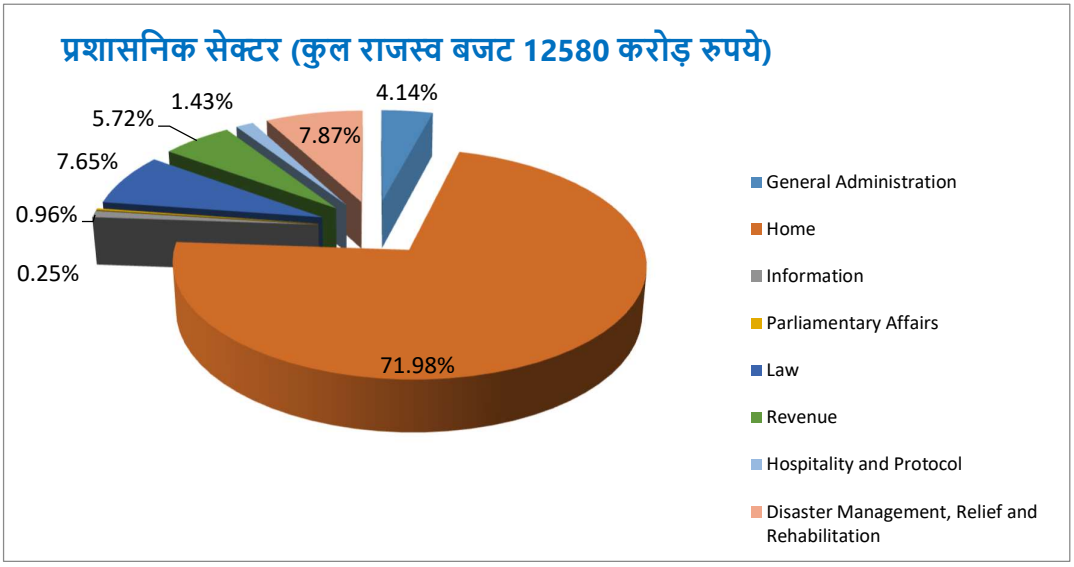

ग्राफ : 15

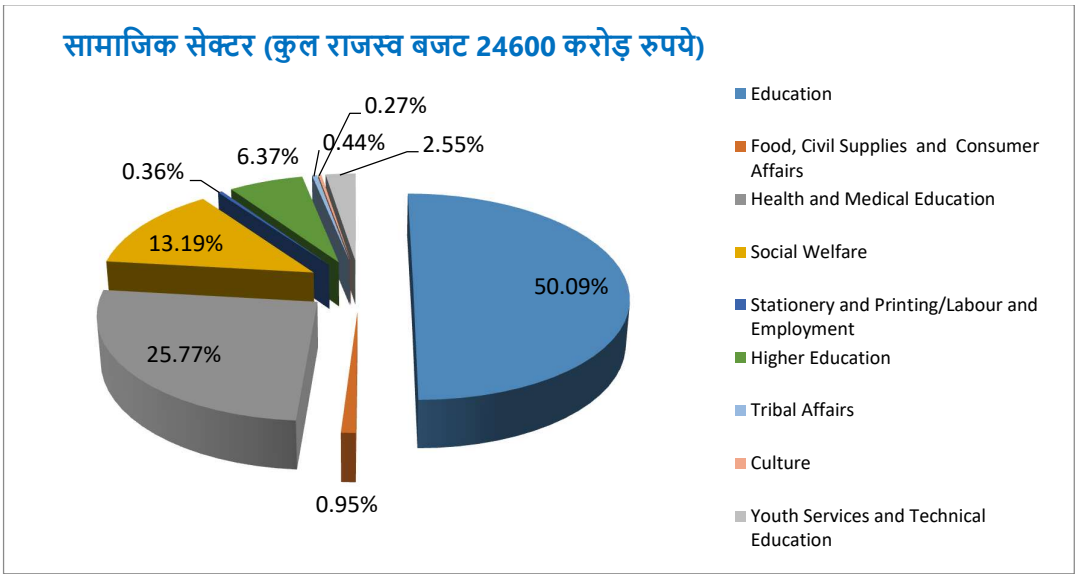

ग्राफ: 16

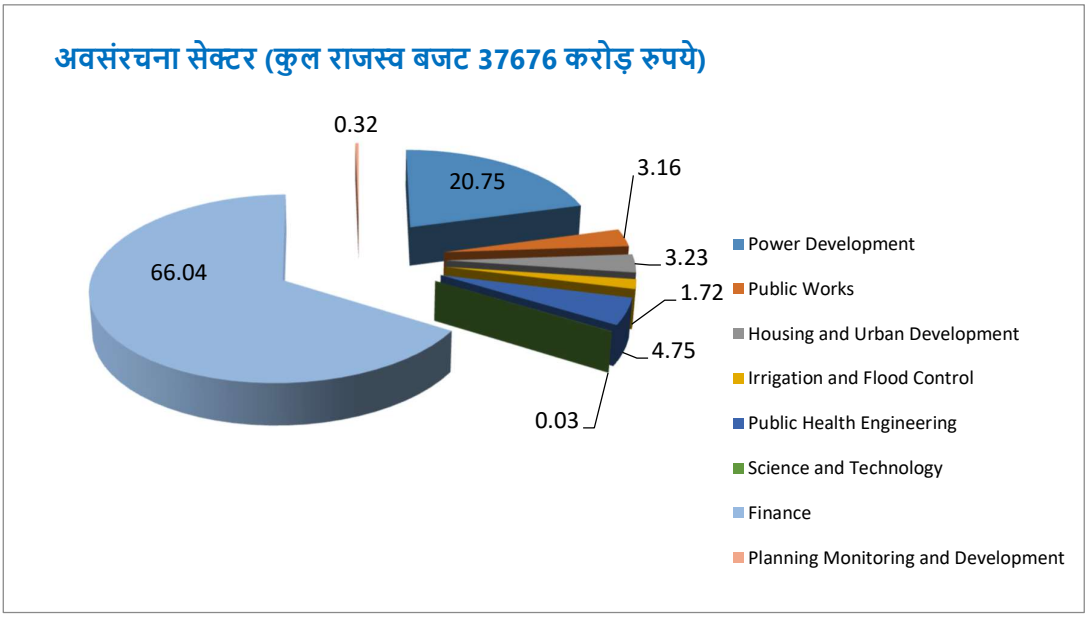
अवसंरचना सेक्टर (कुल राजस्व बजट 37676 करोड़ रुपये)
0.32
20.75
3.16
3.23
1.72
4.75
0.03
66.04
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

ग्राफ: 17

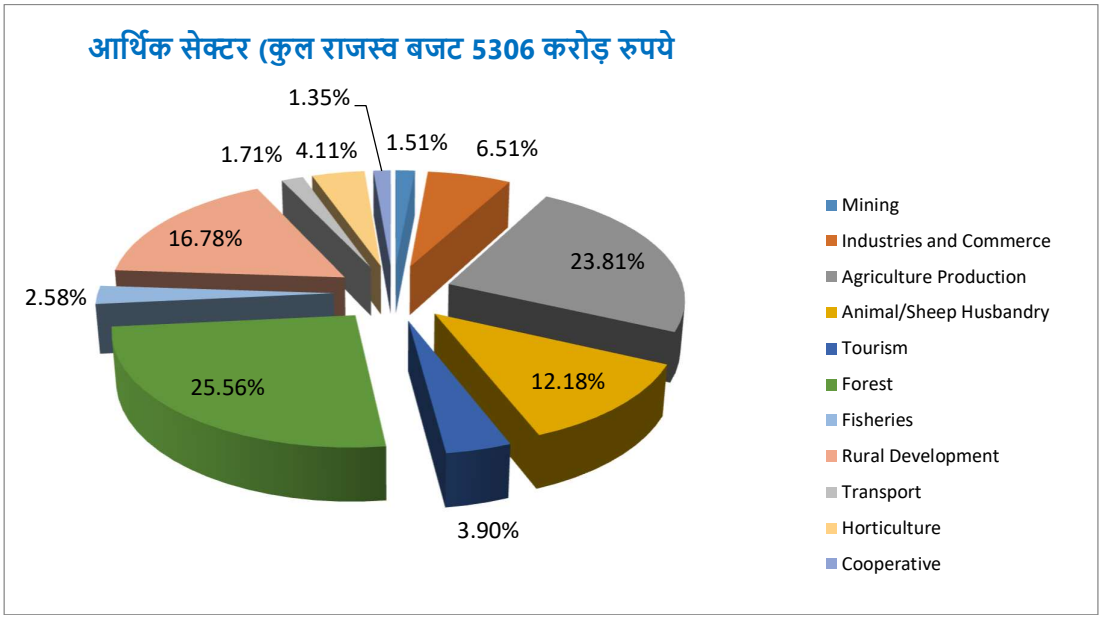
आर्थिक सेक्टर (कुल राजस्व बजट 5306 करोड़ रुपये
1.35%
1.71%
4.11%
1.51%
6.51%
16.78%
23.81%
2.58%
25.56%
12.18%
3.90%
Mining
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

तालिका 9: सेक्टर-वार पूंजीव्यय

(करोड़ रुपए में)

मांग सं.	विभाग	बजट अनुमान (2023-24)	संशोधित अनुमान (2023-24)	बजट अनुमान (2024-25)	% बढ़ोतरी (2023-24) RE से(2024-25) BE तक
01	**प्रशासनिक सेक्टर**				
01	सामान्य प्रशासन	163.41	63.52	82.00	29.09
02	गृह	799.61	440.18	567.71	28.97
04	सूचना	100.48	0.48	1.00	108.33
09	संसदीय कार्य	4.00	0.00	0.00	-
10	विधि	192.00	120.00	190.00	58.33
14	राजस्व	59.50	14.00	23.00	64.29
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	72.00	75.50	59.00	-21.85
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	410.67	288.00	438.99	52.43
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	**1801.67**	**1001.68**	**1361.70**	**35.94**
02	**सामाजिक सेक्टर**				
07	शिक्षा	792.12	664.78	823.10	23.82
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	390.87	379.46	313.00	-17.51
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	2097.53	1713.49	1427.61	-16.68
18	सामाजिक कल्याण	98.92	76.50	84.12	9.96
25	स्वच्छता एवं प्रिंटिंग/ श्रम एवं रोजगार	69.00	37.28	108.08	189.91
27	उच्चतर शिक्षा	729.75	434.00	477.00	9.91
30	जनजातिया कार्य	446.76	270.70	222.70	-17.73
31	संस्कृति	170.07	60.50	111.50	84.30
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	227.63	168.58	211.91	25.70
	कुल सामाजिक सेक्टर	**5022.65**	**3805.29**	**3779.02**	**-0.69**
03	**अवसंरचना सेक्टर**				
06	विद्युत विकास	1964.90	1322.39	1875.00	41.79
16	लोकनिर्माण कार्य	4062.87	3942.87	4108.87	4.21
19	आवास एवं शहरी विकास	2928.04	2628.28	2329.55	-11.37
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1310.50	602.44	947.30	57.24
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	5850.00	930.49	4091.44	339.71
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	109.85	88.00	159.50	81.25
	कुल अवसंरचना सेक्टर	**16226.16**	**9514.47**	**13511.66**	**42.01**
04	**आर्थिक सेक्टर**				
05	खनन	12.20	1.10	2.00	81.82
11	उद्योग एवं वाणिज्य	741.79	396.27	529.62	33.65
12	कृषि उत्पादन	1953.95	801.45	1037.96	29.51
13	पशु/भेड़पालन	476.44	336.63	445.30	32.28
20	पर्यटन	287.32	253.75	357.70	40.97
21	वन	207.75	134.45	156.45	16.36
26	मत्स्य पालन	153.26	70.00	121.15	73.07

28	ग्रामीण विकास	4169.26	3999.50	3730.83	-6.72
29	परिवहन	54.39	13.89	22.00	58.39
32	बागवानी	572.79	320.98	425.54	32.58
36	सहकारिता	25.00	20.00	25.00	25.00
	कुल आर्थिक सेक्टर	**8654.15**	**6348.02**	**6853.55**	7.96
05	**वित्तीय सेक्टर**				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	786.57	327.16	309.08	-5.53
08	वित्त	9000.04	11045.77	12750.81	15.44
	कुल वित्तीय सेक्टर	**9786.61**	**11372.93**	**13059.89**	14.83
	कुल मिलाकर	**41491.24**	**32042.39**	**38565.82**	**20.36**

सेक्टर-वार पूंजीव्यय

ग्राफ: 18

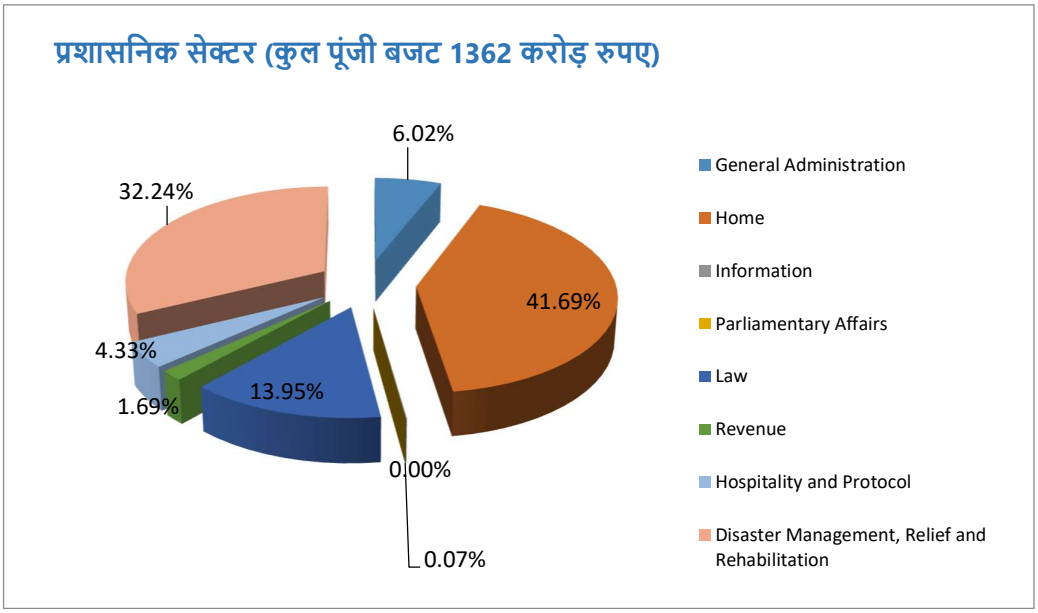

ग्राफ: 19

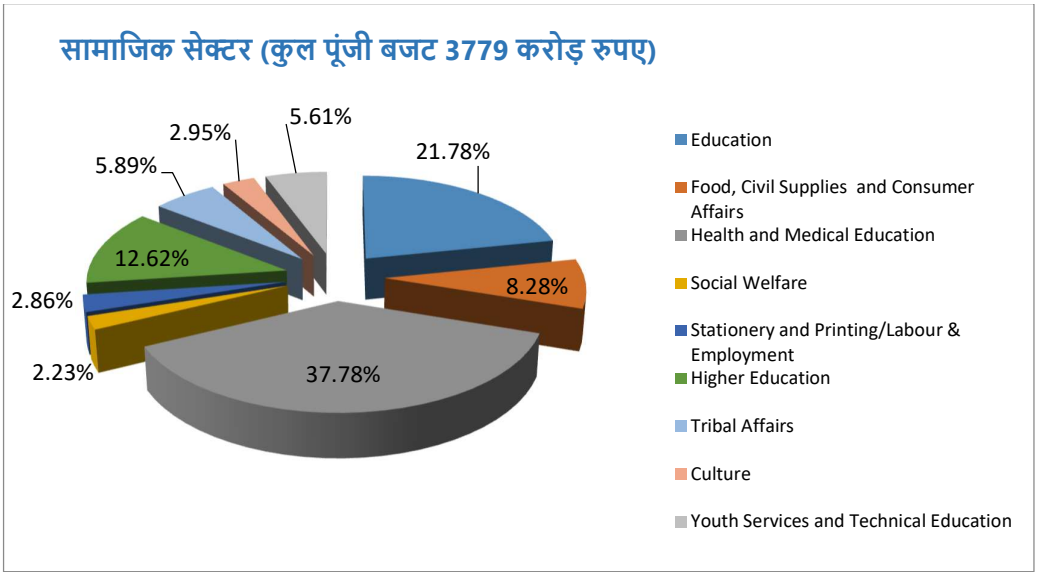

ग्राफ: 20

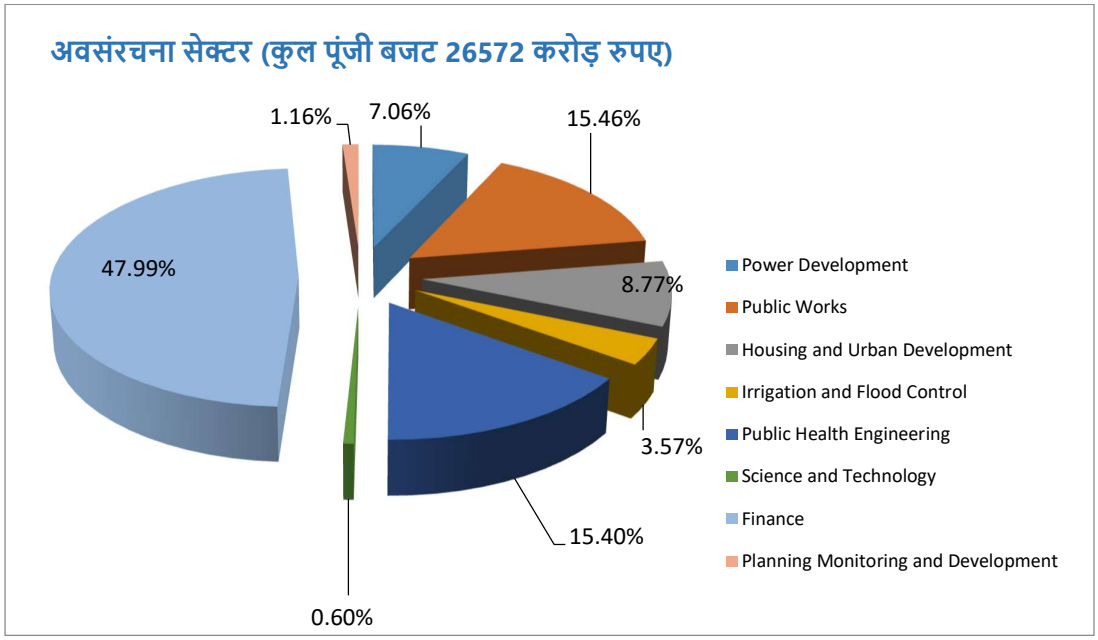
अवसंरचना सेक्टर (कुल पूंजी बजट 26572 करोड़ रुपए)
1.16%
7.06%
15.46%
47.99%
8.77%
3.57%
15.40%
0.60%
Power Development
Public Works
Housing and Urban Development
Irrigation and Flood Control
Public Health Engineering
Science and Technology
Finance
Planning Monitoring and Development

ग्राफ: 21

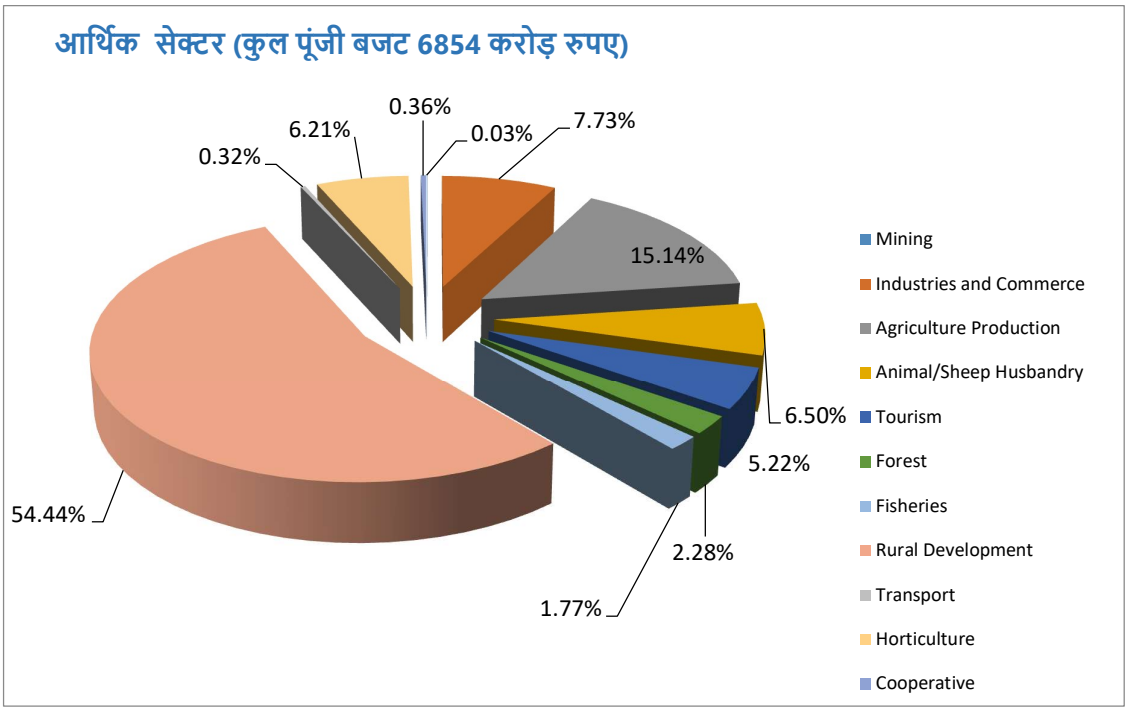
आर्थिक सेक्टर (कुल पूंजी बजट 6854 करोड़ रुपए)
0.36%
6.21%
0.03%
7.73%
0.32%
15.14%
6.50%
5.22%
54.44%
2.28%
1.77%
Mining
Industries and Commerce
Agriculture Production
Animal/Sheep Husbandry
Tourism
Forest
Fisheries
Rural Development
Transport
Horticulture
Cooperative

विभाग-वार समग्र पूंजीव्यय (%)
प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

ग्राफ: 22

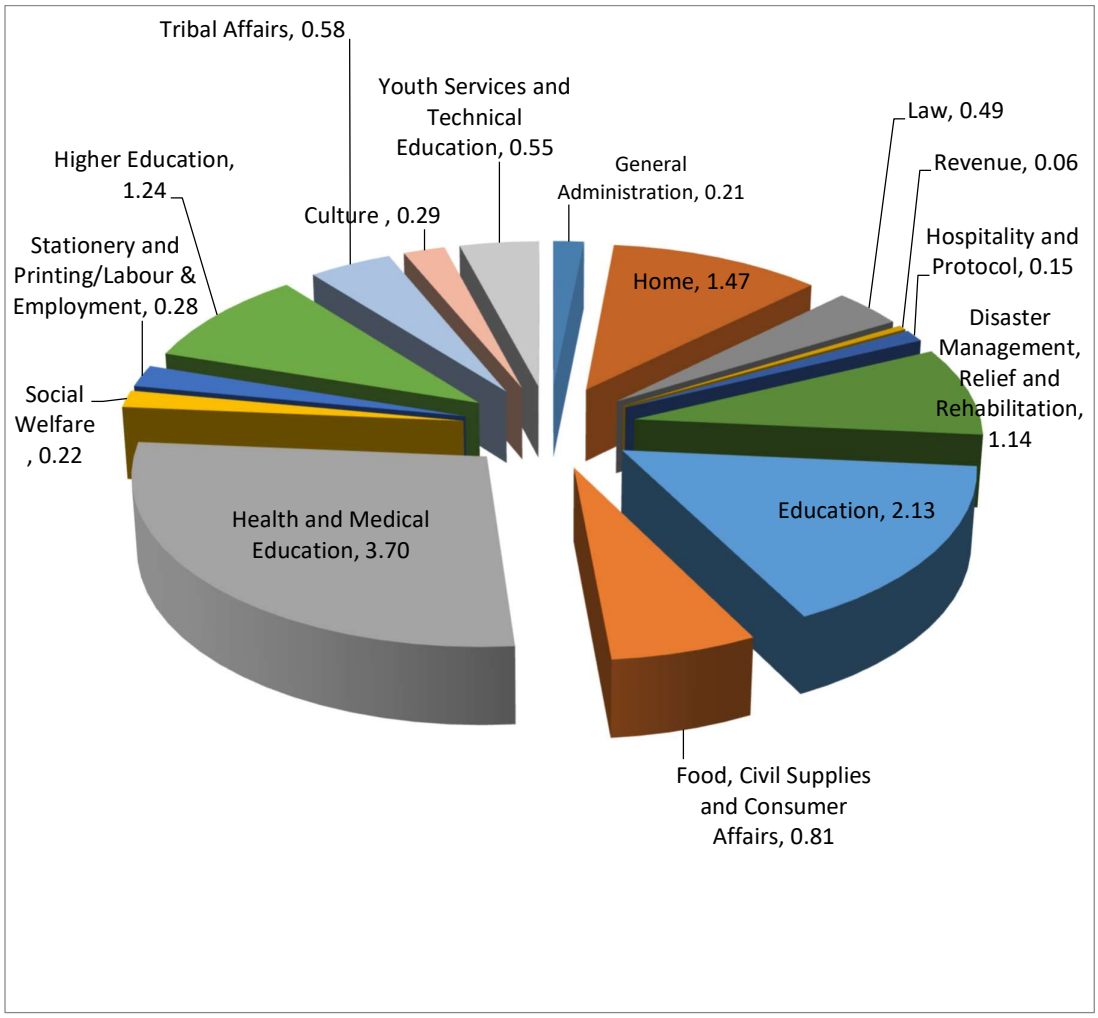

विभाग-वार समग्र राजस्वव्यय (%)

प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

ग्राफ: 23

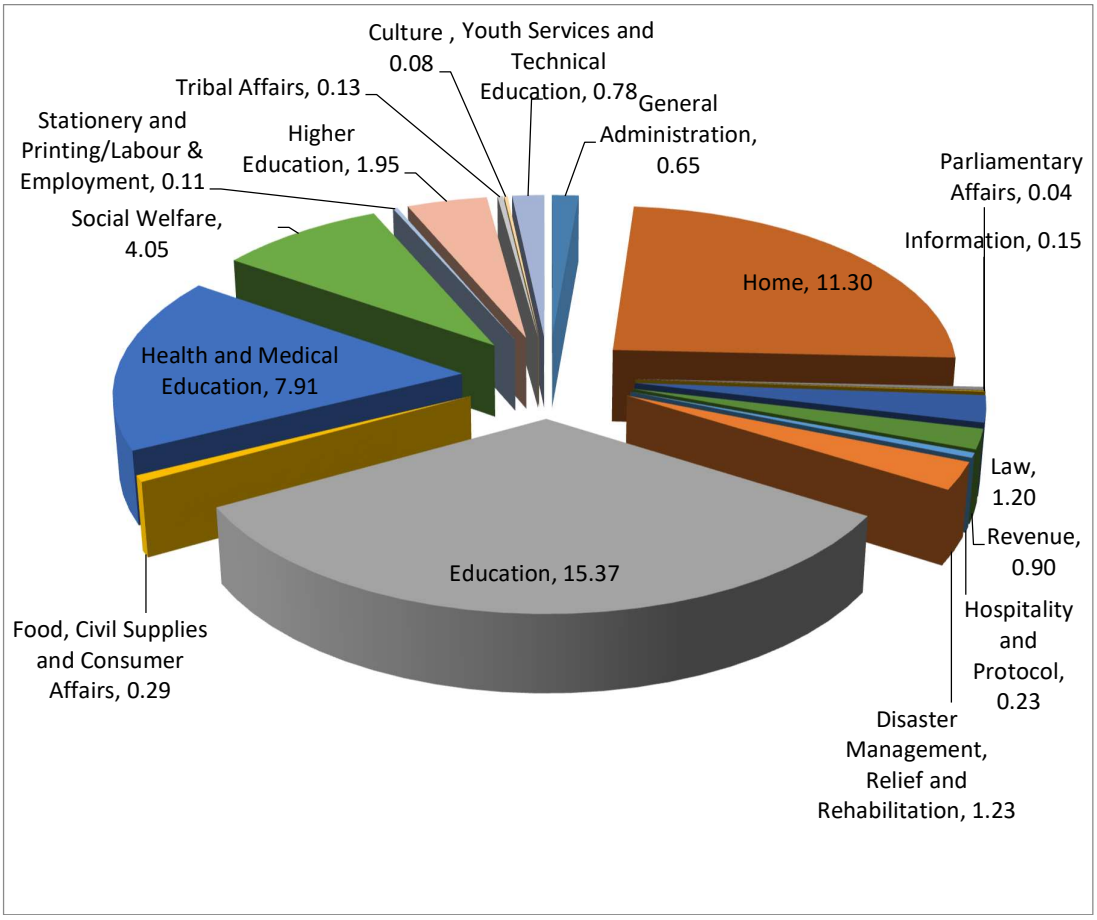

विभाग-वार समग्र पूंजी व्यय (%)
अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

ग्राफ: 24

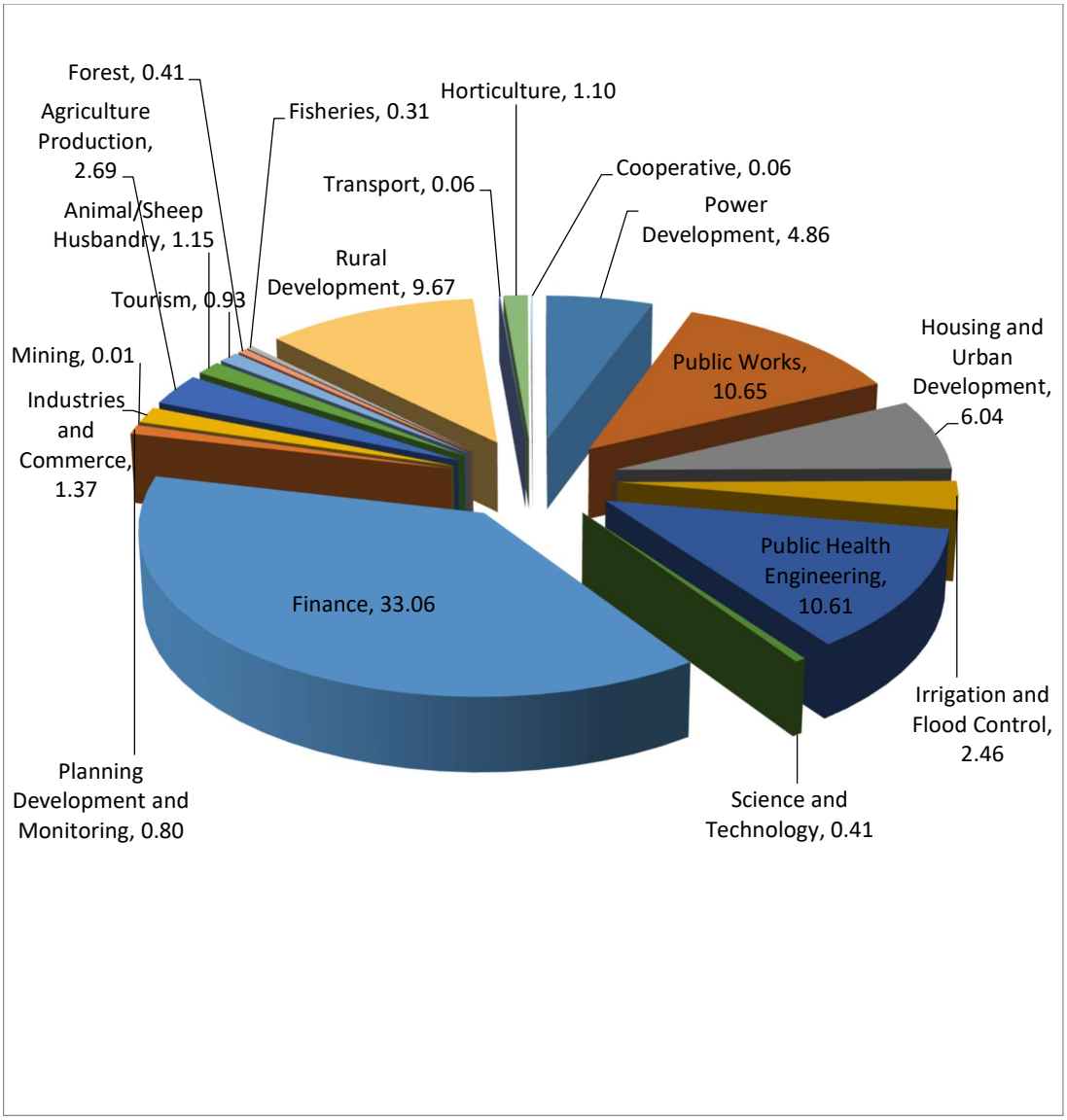

विभाग-वार समग्र राजस्वव्यय (%)
अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

ग्राफ: 25

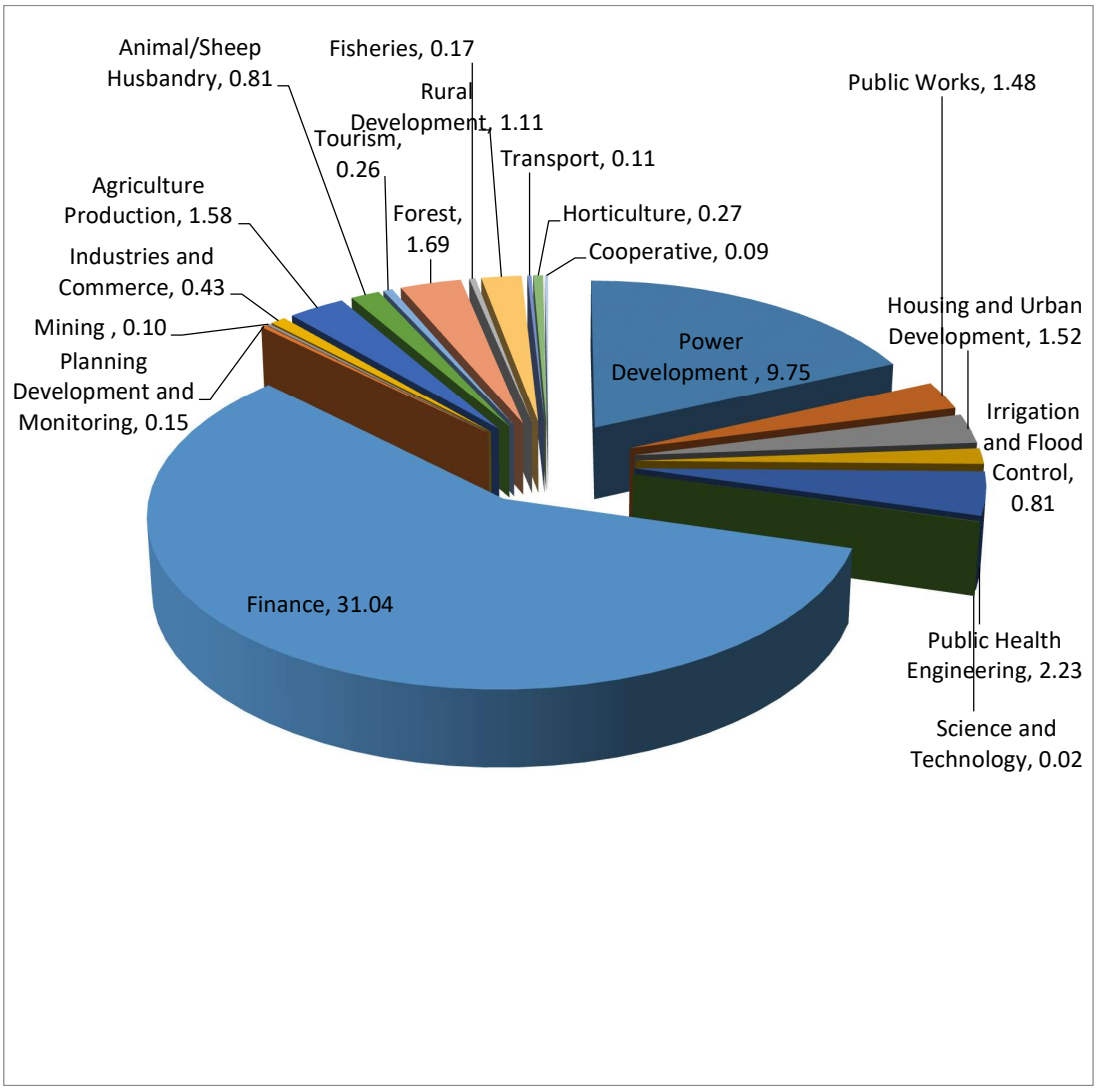

जीडीपी में सेक्टोरल निवेश का योगदान

ग्राफ: 26

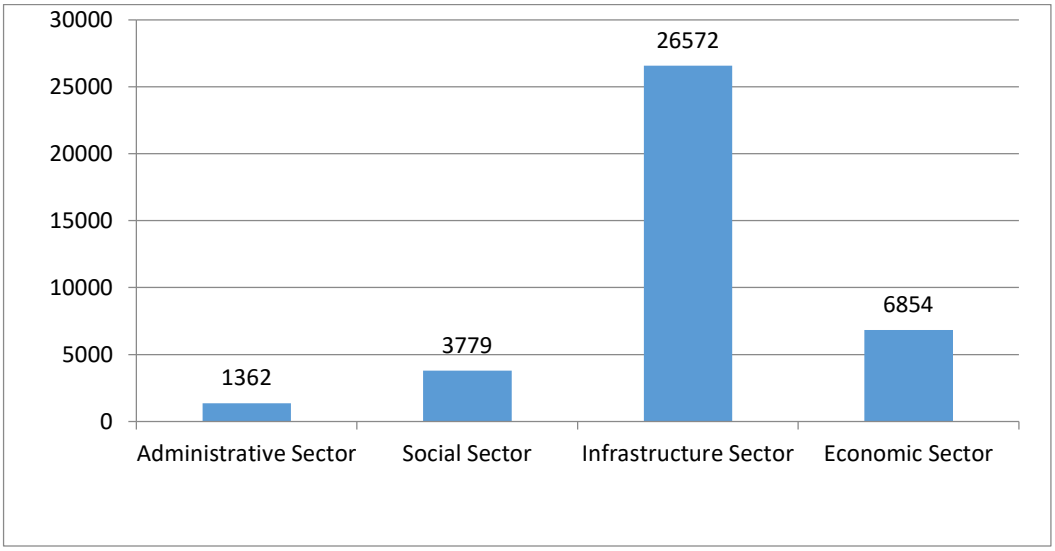

ग्राफ: 27 **%**

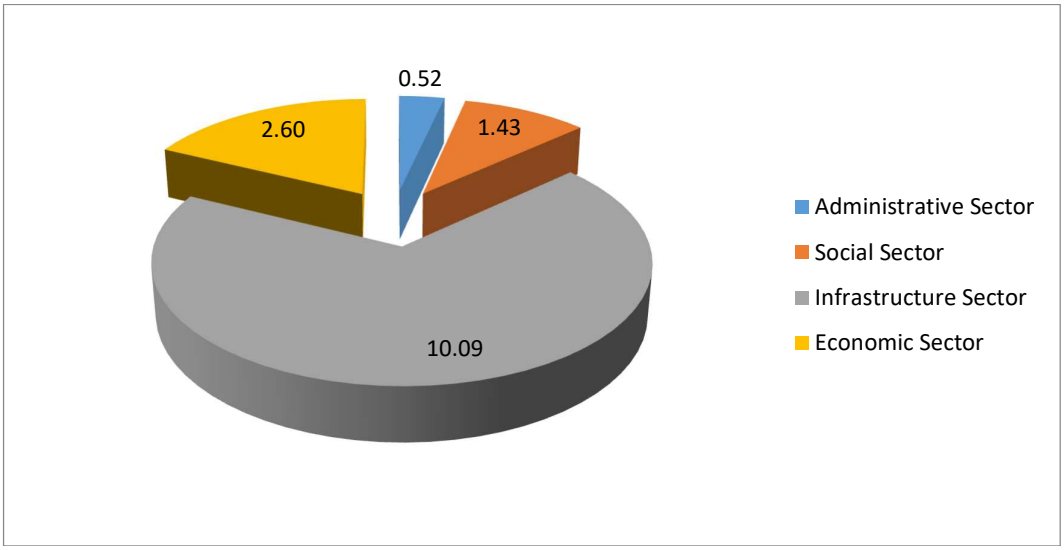

जीडीपी में विभाग-वार निवेश का प्रमुख योगदान

ग्राफ: 28

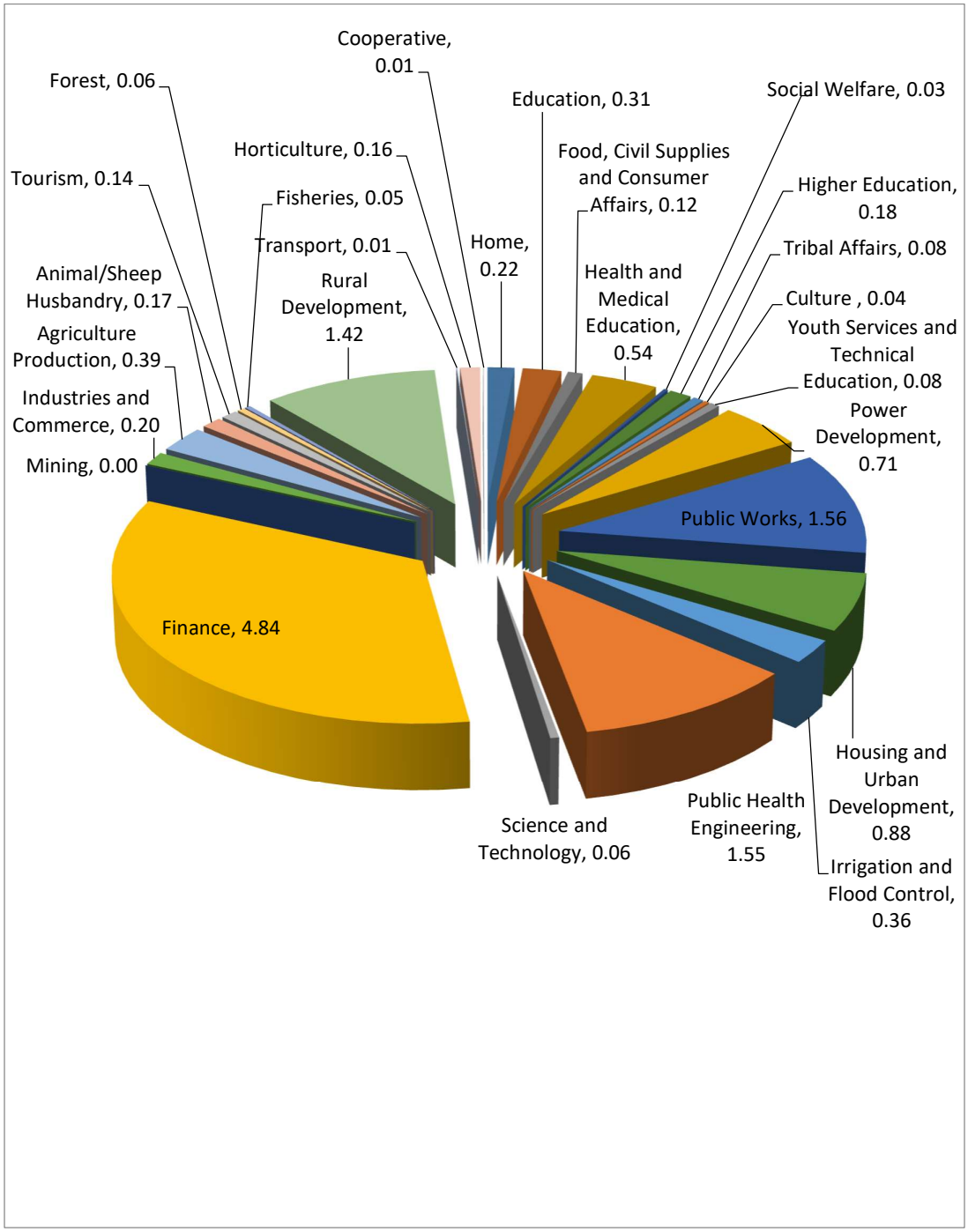

व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति : राजस्व और पूंजी
(संशोधित अनुमान 2023-24 से बजट अनुमान 2024-25)

ग्राफ 29 **%**

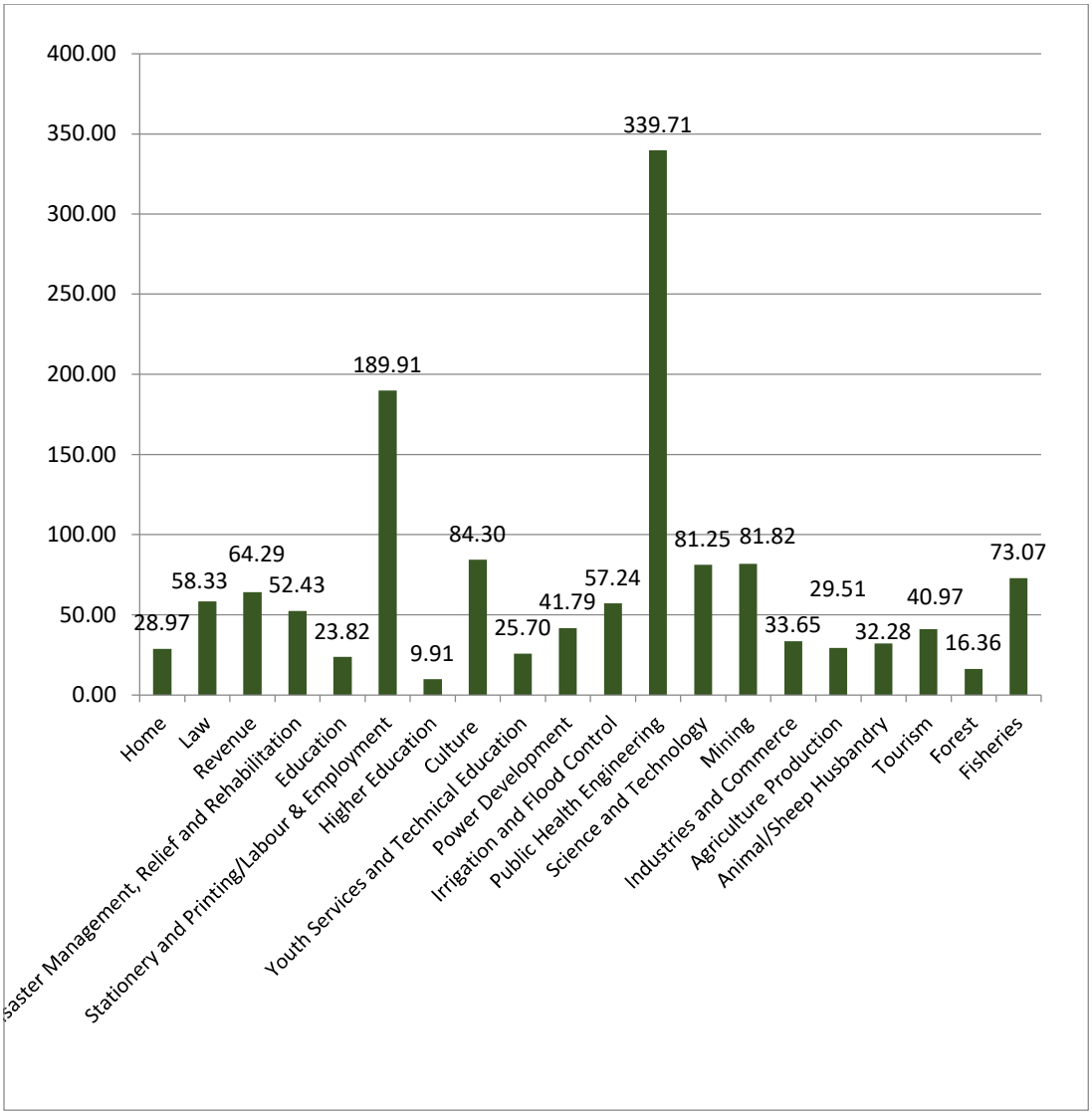

तालिका 10: पिछले 13 वर्षों में ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक ऋण	बीमा और पेंशन निधि	भविष्य निधि	अन्य दायित्व*	कुल देयताएं	मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी	जीएसडीपी की तुलना में कुल देयता का प्रतिशत
								आधार वर्ष 2004-05	
2010-11	*16535	2032	18567	358	6291	4756	29972	58073	52
								आधार वर्ष 2011-12	
2011-12	20789	1903	22692	384	8335	4845	36256	77945	47
2012-13	22796	1839	24635	454	9954	5205	40248	86537	47
2013-14	24715	1775	26490	505	11893	5758	44646	97400	46
2014-15	26525	1675	28200	602	14028	5484	48314	98367	49
2015-16	30452	1579	32031	671	16846	5798	55346	117168	47
2016-17	34018	1489	35507	775	18588	5803	60673	124848	49
2017-18	37418	1405	38823	909	20010	8462	68204	139709	49
2018-19	42222	1292	43514	974	25233	9340	79061	159859	49
2019-20	45465	1237	46702	1006	26156	9709	83573	164103	51
2020-21	52469	1302	53771	1085	27222	10875	92953	167652	55
2021-22	61212	1183	62395	1191	26521	11355	101462	199917	51
2022-23	68786	831	69617	1331	28275	13574	112797	227927	49

*** ओवरड्राफ्ट में कमी के लिए 1300 करोड़ रुपये का ऋण शामिल नहीं है।**

ऋण /जीएसडीपी अनुपात

ग्राफ: 30 **जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण**

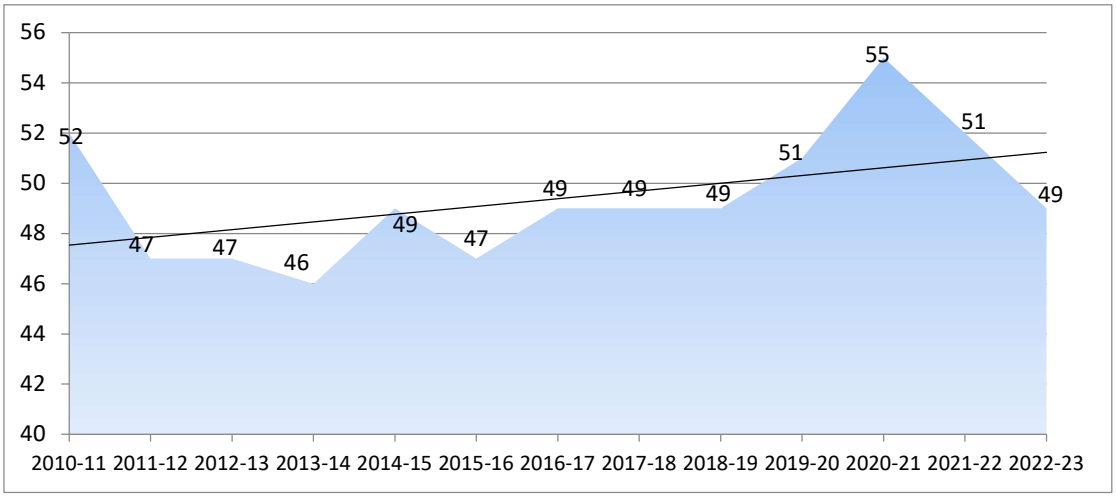

बजट : विभिन्न घटक

बजट के तीन भाग हैं :

1. समेकित निधि
2. लोक लेखा
3. आकस्मिक निधि

समेकित निधि सभी 'सामान्य' बजट लेन-देनों के लिए श्रोत है, चाहे ये लेन-देन पूंजी, राजस्व अथवा ऋण की प्रकृति के हों। कर और कर-भिन्न राजस्व को समेकित निधि में दर्ज किया जाता है तथा समेकित निधि से वहन किए जाने वाला कोई व्यय विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 'प्रभारित' प्रकृतिके व्ययों को भी समेकित निधि से वहन किया जाता है।

समेकित निधि के भी दो भाग होते हैं :

a) राजस्व लेखा ; और
b) पूंजी लेखा।

राजस्व लेखे में वेतन, मजदूरी, रख-रखाव और मरम्मत, टेलीफोन व्यय, दिन-प्रतिदिन के कार्यालय से संबंधित व्यय तथा अन्य ऊपरी व्ययों जैसे रूटीन प्रशासन के संबंध में होने वाले व्यय शामिल होते हैं। परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय, जिनमें अधिकांश (किंतु सभी नहीं) योजनागत व्यय शामिल होता है, पूंजीलेखे में कवर होता है।

राजस्व प्राप्तियां वे समस्त आय होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त योजनाओं के वित्तपोषण तथा योजना-भिन्न अनुदानों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

पूंजीप्राप्तियों में आंतरिक ऋण, केंद्र से प्राप्त ऋण और निगमों, सहकारी समितियों आदि को अग्रिम रूप में दिए गए अपने स्वयं के ऋणों की वसूली शामिल होती है तथा इन्हें पूंजी लेखे में दर्ज किया जाता है। पूंजीलेखे के परिव्यय भाग में अपने स्वयं के निवेश परिव्यय और संवितरणों के सदृश्य व्यय होते हैं, जिनमें लोक ऋण की अदायगी तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं। इस प्रकार समेकित निधि के पूंजीऔर ऋण दोनों भाग पूंजीबजट के अंतर्गत आते हैं।

लोक-लेखा में वे निधियां शामिल होती हैं जिनका सरकार से संबंध नहीं है किंतु जिन्हें यह अन्य संस्थाओं के लिए विश्वास के रूप में रखती है। इसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित एवं मूल्यह्रास निधि, नगर निगमों से प्राप्त जमा, पेंशन निधि आदि शामिल होंगे। इसे सही रूप में ऐसी निधि कहा जा सकता है जिनके लिए यह बैंकर के रूप में कार्य करता है।

आकस्मिक निधि अपने नाम के अनुसार आकस्मिक प्रयोग के लिए निधि होती है। इसे बजट में सामान्यत जराक्रांत राशियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों के लिए शामिल किया जाता है। आकस्मिक निधि से व्यय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जा सकता है और अत: इसमें यह फायदा है कि बजट प्रक्रिया तथा विधायी अनुमोदन से छूट मिल जाती है; तथापि इस प्रकार हुए व्यय के लिए बाद में विधानमंडल की मोहर लगवाना अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि की मौद्रिक सीमा में बजट प्रक्रिया के माध्यम से कुछ वर्षों बाद वृद्धि की जाती है।

परिभाषाएं :-

1. **राजस्व प्राप्तियां** वे सभी अदायगियां होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के राजस्व (कर और कर-भिन्न), केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र सरकार से सांवधिक और गैर सांवधिक अनुदान शामिल होते हैं। इनमें ब्याज तथा सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश भी शामिल होता है।

2. **राजस्व व्यय** में वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज के भुगतान, रख-रखाव और मरम्मत जैसे सभी रूटीन प्रकार के प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें किराये के भुगतान, कर और अन्य स्थापना संबंधी व्यय जैसे ऊपरी खर्चे भी शामिल होते हैं।

3. **पूंजीप्राप्तियों** में बाजार से लिए गए ऋण, आरबीआई और अन्य संस्थाओं से ली गई उधार राशियां, एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्तियां और अपने स्वयं के ऋणों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल होती है।

4. **पूंजी व्यय** परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होता है। यह भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य सभी भौतिक अवसंरचना जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर निवेश परिव्यय के सुदृश होता है। ऐसे संवितरणों, जिनमें लोक ऋण तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम की अदायगी शामिल होती है, को भी पूंजीव्यय के रूप में लिया जाता है।

5. **विविध पूंजी**प्राप्तियों को गैर ऋण पूंजीप्राप्तियों के रूप में माना जाता है।

6. **प्राथमिक घाटा** वह राजकोषीय घाटा होता है जो राजस्व घटक के अंतर्गत ब्याज के भुगतान तथा ऋण की अदायगी का निवल होता है।

7. **राजस्व घाटा**, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

8. **बजट घाटा** कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है तथा मौद्रीकरण की अनुपस्थिति में इसे जीरो होना होता है। मोनेटाईजेशन रूट तक सरकार की कोई पहुंच नहीं होती है। इनके मामले में बजट घाटा जीरो होना चाहिए।

9. **राजकोषीय घाटा**, कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के बीच का अंतर होता है।

10. **वित्त विधेयक** में नए कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे में आशोधन अथवा मौजूदा कर ढांचे को विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित अवधि के बाद जारी रखे जाने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं।